

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 19-50/2018/1/4 :: किसानों के कर्ज माफी के संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक डी 17-18/2018/14-3 दिनांक 17/12/2018 को जारी किया गया। उक्तानुक्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को अधिकमित कर किसानों के ऋण माफी के उक्त आदेश तथा राज्य के किसानों की ऋण मुक्ति की योजना/स्कीम के समुचित क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन करता है:-

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3	विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	संयोजक
6	प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
13	क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अथवा प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
14	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
15	आयुक्त, भू-अभिलेख	सदस्य
16	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
17	पंजीयक, सहकारी संस्थायें	सदस्य
18	प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक	सदस्य
19	समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य

/ / 2 / /

20 राज्य सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.)	सदस्य
21 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मेप-आई.टी.	सदस्य
22 आयुक्त, संस्थागत वित्त	सह संयोजक

2/ उक्त समिति किसानों की कर्ज माफी के संबंध में उक्तानुसार जारी आदेश एवं ऋण मुक्ति की योजना/स्कीम के क्रियान्वयन तथा समीक्षा के कार्य के लिए सक्षम रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कमल नागर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 19-50/2018/1/4

भोपाल दिनांक 14 दिसम्बर 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन।
 5. विकास आयुक्त, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
 6. श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
 7. आयुक्त/ समस्त विभागाध्यक्ष।
 8. क्षेत्रीय निदेशक अथवा प्रतिनिधि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/राज्य स्तरीय बैंक समिति/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जोनल/रीजनल मैनेजर, समस्त बैंकर्स भोपाल।
 9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
 10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मेप आई.टी. भोपाल।
 12. वरिष्ठ सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, एनआईसी भोपाल।
 13. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग